

30¹²/₂₀₂₁

पत्रावली भाग मिसल तकी के प्राण पर पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित वादी ने अवगत कराया कि वादी गलतफहमी भांगे नहीं चलाना चाहते हैं। वादी गलतफहमी को नोटिस में खारिज करना चाहते हैं।

मह: मुं नं 213/2021 दावा
आलोक बनारस जीता नोटिस में खारिज
किया जा रहा है। पत्रावली मिसल शुमार के
नम्बर में काम है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डू सभ (करौली)

